

मुख्य परीक्षा

नया बीमा विधेयक, 2025

संदर्भ

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण और मजबूत विनियमन के माध्यम से भारत के बीमा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करता है, लेकिन गहन पैठ, नवाचार और समावेशी विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों को नजरअंदाज करता है।

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान -

- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित करने के लिए विधेयक बीमा कंपनियों में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर देता है।
- **पुनर्बीमा(Reinsurance) प्रवेश उदारीकरण:** पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यह विधेयक विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता को ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ कर देता है।
- **IRDAI के लिए बढ़ी हुई शक्तियां:** विधेयक IRDAI को पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और नियामक प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए अनुचित लाभों को वापस लेने और उचित दंड लगाने का अधिकार देता है।
- **मध्यस्थ पंजीकरण को सरल बनाना:** अनुपालन लागत और नियामक दोहराव को कम करने के लिए यह विधेयक बीमा मध्यस्थों के लिए एक बार पंजीकरण प्रणाली शुरू करता है।
- **शेयर हस्तांतरण मानदंडों में ढील:** स्वामित्व पुनर्गठन को आसान बनाने के लिए चुकता इक्विटी पूंजी(paid-up equity capital) के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
- **पारदर्शी नियम-निर्माण प्रक्रिया:** नियामक प्रशासन में पूर्वानुमान और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियम-निर्माण हेतु एक वैधानिक मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू की गई है।
- **LIC के लिए अधिक परिचालन स्वायत्तता:** विधेयक LIC को चपलता और दक्षता में सुधार के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन के बिना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने और विदेशी परिचालनों का पुनर्गठन करने की अनुमति देता है।

बीमा विधेयक, 2025 का संभावित प्रभाव -

- **पूंजी प्रवाह में वृद्धि:** पूर्ण FDI उदारीकरण से भारत के बीमा क्षेत्र में निरंतर विदेशी निवेश आने की उम्मीद है।
- **बेहतर बाजार प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा तेज होगी और उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में सुधार होगा।
- **तकनीकी उन्नयन:** विदेशी भागीदारी से उन्नत बीमा, क्लेम प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी आएगी।
- **बीमा प्रवेश का विस्तार:** अधिक पूंजी और दक्षता कम सेवा वाले और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बीमा कवरेज का विस्तार करने में मदद कर सकती है।
- **मजबूत उपभोक्ता संरक्षण:** IRDAI की बढ़ी हुई प्रवर्तन शक्तियों से पारदर्शिता, अनुपालन और पॉलिसीधारक के विश्वास में सुधार होगा।
- **बेहतर वैश्विक एकीकरण:** सुधार भारत के बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को अंतरराष्ट्रीय नियामक और परिचालन मानकों के साथ संरेखित करते हैं।

विधेयक में कौन-कौन से प्रमुख प्रावधान गायब हैं?

- **समग्र लाइसेंस का अभाव:** बीमाकर्ताओं को एक इकाई के तहत जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा में काम करने की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।
 - बीमा अधिनियम, 1938 के तहत कठोर विभाजन जारी है।
 - एकीकृत, बंडल बीमा उत्पादों और ग्राहक सुविधा के लिए एक चूका हुआ अवसर।
- **न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं:** ₹100 करोड़ (बीमाकर्ता) और ₹200 करोड़ (पुनर्बीमाकर्ता) न्यूनतम पूंजी मानदंडों को बरकरार रखता है।
 - विशिष्ट, क्षेत्रीय, केवल स्वास्थ्य बीमा या सूक्ष्म बीमा कंपनियों के प्रवेश को सीमित करता है।
 - ग्रामीण, अनौपचारिक और कम आय वाले क्षेत्रों में विस्तार को धीमा कर देता है।
- **कैप्टिव बीमा कंपनियों के लिए कोई अनुमति नहीं:** बड़े कॉर्पोरेट्स को कैप्टिव बीमाकर्ता स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है।
 - उद्यम जोखिम प्रबंधन को आधुनिक बनाने का मौका चूक जाता है।
 - भारत वैश्विक जोखिम-वित्तपोषण प्रथाओं से पीछे बना हुआ है।
- **सीमित एजेंट और वितरण सुधार:** व्यक्तिगत एजेंटों द्वारा कई बीमाकर्ताओं की पॉलिसियां बेचने पर प्रतिबंध जारी है।
 - प्रतिस्पर्धा, पसंद और अंतिम-मील पैठ को कम करता है।
- **अन्य कमजोर या वर्जित प्रस्ताव:** बीमाकर्ताओं को म्यूचुअल फंड, ऋण या क्रेडिट उत्पाद वितरित करने की अनुमति नहीं है।
 - बाजार में अस्थिरता के बावजूद निवेश मानदंडों में सीमित लचीलापन।
 - बीमाकर्ताओं के लिए राजस्व के नए स्रोतों में कमी।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत में लोक अदालतें

संदर्भ

लोक अदालतें एक जन-केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली का प्रतीक हैं जो कानूनी अंतिम निर्णय को सुलह के साथ जोड़ती है, जिससे न्याय सुलभ, किफायती और मानवीय बनता है, जबकि अदालतों पर बोझ काफी कम हो जाता है।

लोक अदालतें क्या हैं?

- लोक अदालतें जन-केंद्रित वैकल्पिक विवाद समाधान मंच हैं जो मुकदमेबाजी के बजाय सुलह और आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करती हैं।
- इनका उद्देश्य विशेष रूप से आम नागरिकों को त्वरित, निःशुल्क और सुलभ न्याय प्रदान करना है।
- लोक अदालतें विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कार्य करती हैं और इनके निर्णयों का वही कानूनी दर्जा होता है जो दीवानी न्यायालय के निर्णयों का होता है।
- इनका ध्यान समझौते, सुलह और आम सहमति पर होता है, न कि विजेता और हारने वाले का निर्धारण करने पर।
- लोक अदालतों की मुख्य विशेषताएं:
 - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वैधानिक समर्थन, जो कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करता है।
 - कोई अदालती शुल्क देय नहीं है; निपटारे पर पहले से भुगतान किया गया कोई भी शुल्क वापस कर दिया जाता है।
 - अनौपचारिक और गैर-विरोधी कार्यवाही, जटिल प्रक्रियाओं और साक्ष्य के तकनीकी नियमों से मुक्त।
 - सुलहात्मक दृष्टिकोण, जहां न्यायाधीश और सदस्य निर्णायक के बजाय सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
 - अंतिम और बाध्यकारी निर्णय, जिसे दीवानी न्यायालय के आदेश के समान माना जाता है।
 - लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे त्वरित अंतिम निर्णय सुनिश्चित होता है।
 - मुकदमे से पहले और लंबित मामलों पर लागू, जिससे विवादों का शीघ्र समाधान संभव होता है।
 - ई-लोक अदालतों का समावेश, जो आभासी भागीदारी और व्यापक पहुंच की अनुमति देता है।
- लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र:
 - विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार:
 - नागरिक विवाद, जिनमें संपत्ति, भूमि, धन और संविदात्मक मामले शामिल हैं।
 - समझौता योग्य आपराधिक मामले।
 - मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे।
 - पारिवारिक विवाद, जिनमें वैवाहिक और भरण-पोषण के मामले शामिल हैं।
 - बैंक वसूली और वित्तीय विवाद।
 - सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवाद (स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से)।
 - मामले के प्रकार के आधार पर क्षेत्राधिकार:
 - अदालतों में लंबित मामले, सहमति से या समझौता संभव होने पर संदर्भित किए जाते हैं।
 - मुकदमे से पहले के विवाद, अदालत में मामला दायर करने से पहले सीधे संदर्भित किए जाते हैं।
- आर्थिक क्षेत्राधिकार (स्थायी लोक अदालतें): ₹1 करोड़ तक की सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद।

लोक अदालतों की संस्थागत संरचना -

लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण प्रणाली के तहत चार-स्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से संचालित होती हैं:

- **राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
 - कार्य: नीति निर्माण, राष्ट्रीय लोक अदालत कैलेंडर, निगरानी और समन्वय
- **राज्य स्तर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA):** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
 - कार्य: नालसा नीतियों का कार्यान्वयन, उच्च न्यायालय के मामलों सहित लोक अदालतों का आयोजन।
- **जिला स्तर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA):** जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में
 - कार्य: जिला स्तरीय लोक अदालतें, तालुक समितियों के साथ समन्वय, कानूनी सहायता वितरण।
- **तालुक स्तर: तालुक विधिक सेवा समितियां (TLSCs):** इसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी करते हैं
 - कार्य: जमीनी स्तर पर पहुंच, कानूनी सहायता का पहला बिंदु और विवाद समाधान।
- **स्थायी लोक अदालतें (PLAs):** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी-22ई के तहत स्थापित।
 - परिवहन, बिजली, पानी, दूरसंचार और डाक सेवाओं जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों को ही संभालती हैं।
 - निरंतर अधिकार क्षेत्र के साथ स्थायी निकायां
 - सुलह विफल होने पर विवादों का निर्णय योग्यता के आधार पर कर सकती हैं।
 - निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिससे मामले का निपटारा और निश्चितता सुनिश्चित होती है।

लोक अदालतों का महत्व

दृष्टिकोण	महत्व
न्याय की गति	एक ही राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.42 करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया गया (2025)
कोर्ट बैकलॉग में कमी	छत्तीसगढ़ लोक अदालत में 55+ लाख बैकलॉग मामलों का समाधान
उच्च भागीदारी	ई-लोक अदालतों ने स्थापना के बाद से 902 लाख से अधिक मामलों पर कार्रवाई की है।
लागत बचत	मुकदमे के पक्षकारों पर कोई अदालती शुल्क का बोझ नहीं; यदि पहले भुगतान किया गया है तो वापस कर दिया जाएगा।
मुद्दों का व्यापक कवरेज	राज्यों में ट्रैफिक, बैंक, सिविल, मैट्रिमोनियल, कंज्यूमर, एमपीसी के मामलों का समाधान


लोक अदालतों से जुड़ी चुनौतियाँ -

- सीमित अधिकार क्षेत्र के कारण लोक अदालतें केवल दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों तक ही सीमित हैं, गंभीर आपराधिक, संवैधानिक और जटिल वाणिज्यिक विवादों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
- पक्षों के बीच सामाजिक-आर्थिक शक्ति असंतुलन के कारण या जल्दबाजी में किए गए समझौतों में वास्तविक सहमति पर संदेह पैदा होता है।
- लोक अदालतों, उनकी प्रक्रियाओं और बाध्यकारी प्रकृति के बारे में कम जन जागरूकता के कारण इस विवाद समाधान तंत्र का कम उपयोग होता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में मध्यस्थों की विशेषज्ञता, संस्थागत क्षमता और स्थानीय प्रथाओं में भिन्नता के कारण परिणामों की गुणवत्ता में असंगति पाई जाती है।
- बड़े पैमाने पर लोक अदालतों के दौरान बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की कमी न्यायिक संसाधनों पर दबाव डालती है और परिचालन दक्षता को प्रभावित करती है।

आगे की राह -

- सतत कानूनी साक्षरता अभियानों और विवादों के शीघ्र समाधान के लिए अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों की प्रभावी तैनाती के माध्यम से कानूनी जागरूकता बढ़ाना।
- विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए स्वतंत्र, सूचित और स्वैच्छिक सहमति को अनिवार्य बनाकर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।
- निष्पक्षता और एकरूपता में सुधार के लिए न्यायाधीशों, मध्यस्थों और कानूनी सेवा कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण में निवेश करना।
- बेहतर निगरानी के लिए ई-लोक अदालतों का विस्तार करके और परिणामों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकृत करके प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
- मुकदमेबाजी से पहले के चरण में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों को संबोधित करने और लंबे समय तक चलने वाले अदालती मामलों में तब्दील होने से रोकने के लिए स्थायी लोक अदालतों को सुदृढ़ करना।

स्रोत: [पीआईबी](#)



प्रारंभिक परीक्षा

नई रामसर साइटें

संदर्भ

राजस्थान में सिलीसेढ़ झील और छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय को हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।


सिलीसेढ़ झील, राजस्थान के बारे में -

- अवस्थिति: अलवर जिला, राजस्थान।
- प्रमुख विशेषताएं:
 - यह एक मानव निर्मित झील और आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा किया गया था।
 - सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है।
 - यह अर्ध-शुष्क क्षेत्र में है।
 - 149 पक्षी प्रजातियों और 17 स्तनपायी प्रजातियों का समर्थन करती है।
 - उल्लेखनीय जीव-जंतुओं में शामिल हैं: संकटग्रस्त रिवर टर्न (स्टर्ना ऑरेटिया), ब्लैक स्टॉक (सिकोनिया निग्रा) जिसकी जैव-भौगोलिक आबादी का 1% से अधिक हिस्सा मौजूद है।



कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ के बारे में -

- स्थान: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।



● प्रमुख विशेषताएं:

- इसकी विशेषता उथले, पोषक तत्वों से भरपूर बैकवाटर के साथ फैले एक बड़े खुले पानी की है।
- यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है।
- यह 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को घोंसला बनाने, भोजन करने और विश्राम करने में आश्रय प्रदान करता है।
- उल्लेखनीय प्रजातियों में शामिल हैं: संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (Aquila clanga), लुप्तप्राय मिस्र का गिद्ध (Neophron percnopterus)।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

पैक्स सिलिका पहल

संदर्भ

अमेरिका के नेतृत्व वाली नई रणनीतिक पहल, पैक्स सिलिका में भारत को शामिल नहीं किया गया है।

पैक्स सिलिका पहल के बारे में -

- पैक्स सिलिका एक अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित, लचीली और नवाचार-संचालित वैश्विक सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।
- यह महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर उन्नत चिप्स, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म तक, संपूर्ण एआई-सक्षम प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है।
- भागीदार देश: जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया।
- उद्देश्य:
 - महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाध्यकारी निर्भरता को कम करना।
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक रणनीतिक सामग्रियों और क्षमताओं की रक्षा करना।

- विश्वसनीय और गठबंधन वाले देशों को परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, स्केल करने और तैनात करने में सक्षम बनाना।
- एआई और डिजिटल भू-राजनीति के युग में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

कोलसेतु नीति(CoalSETU policy)

संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कोलसेतु नीति को मंजूरी दे दी है।

कोलसेतु(निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की नीति) नीति के बारे में -

- यह NRS कोयला लिंकेज नीति, 2016 के तहत विविध औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए दीर्घकालिक कोयला लिंकेज आवंटित करने हेतु एक नई नीलामी-आधारित व्यवस्था है।
- इसका लक्ष्य कोयला संसाधनों की उचित पहुंच, लचीलापन और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
- नीति की मुख्य विशेषताएं:
 - NRS ढांचे के तहत दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए कोयला लिंकेज का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता है।
 - कोयले की आवश्यकता वाले कोई भी घरेलू खरीदार अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना नीलामी में भाग ले सकते हैं।
 - कोयला लिंकेज का उपयोग स्वयं के औद्योगिक उपभोग, कोयले के निर्यात और अन्य उद्देश्यों जैसे कोयला धुलाई के लिए किया जा सकता है, भारत के भीतर पुनर्विक्रय की अनुमति नहीं है।
 - लिंकेज धारकों को आवंटित कोयले की मात्रा का 50% तक निर्यात करने की अनुमति है।
 - यह समूह की विभिन्न कंपनियों में कोयले के उपयोग में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

स्रोत: [न्यूजऑनएयर](#)

ग्रीह विहियर मंदिर

संदर्भ

भारत ने ग्रीह विहियर मंदिर के संरक्षण का आह्वान किया।

ग्रीह विहियर मंदिर के बारे में -

- डांगरेक पर्वतमाला (उत्तरी कंबोडिया) में स्थित एक हिंदू मंदिर।
- भगवान शिव को समर्पित।
- खमेर साम्राज्य के स्वर्ण युग (11वीं-12वीं शताब्दी) के दौरान निर्मित।
- आरंभ में राजा सूर्यवर्मन प्रथम (1002-1050) द्वारा निर्मित और बाद में सूर्यवर्मन द्वितीय (1113-1150) द्वारा विस्तारित।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त।



● वास्तुशिल्प विशेषताएं:

- शास्त्रीय खमेर मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण।
- 800 मीटर लंबी उत्तर-दक्षिण अक्ष पर कई गर्भगृहों के साथ निर्मित।
- पाँच से अधिक गोपुरम (प्रवेश द्वार मीनारें) हैं, जो लंबे रास्तों और सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं।
- अपने बहुस्तरीय चबूतरों और केंद्रीय मार्ग से जुड़े गोपुरमों के लिए अद्वितीय।
- कुछ गोपुरमों की छतें पत्थर की हैं; अन्य की मूल रूप से लकड़ी की छतें थीं, जिनमें से कई अब खंडहर हो चुकी हैं।

स्रोत: [न्यूजऑनएयर](#)

समाचार में प्रजातियां

तपनुली ओरंगुटान



समाचार? वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चक्रवात सेन्यार ने तपनुली ओरंगुटान को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है।

तपनुली ओरंगुटान के बारे में -

- **वितरण:** इंडोनेशिया के लिए स्थानिक, केवल उत्तरी सुमात्रा के बटांग टोरु पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है।
- **विशेषताएँ:**
 - आनुवंशिक और आकारिकी रूप से सुमात्रा और बोर्नियो के ओरंगुटानों से भिन्न।
 - नर ओरंगुटानों का सिर छोटा और गाल चपटे होते हैं, साथ ही इनकी आवाज भी विशिष्ट होती है।
 - ये ज्यादातर वृक्षवासी होते हैं और एकांतप्रिय होते हैं।
 - इसका वैज्ञानिक वर्णन 2017 में किया गया था, जिससे यह सबसे नई पहचानी गई वृहद वानर प्रजाति बन गई है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - **IUCN रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय
 - **CITES परिशिष्ट I** के तहत सूचीबद्ध।

स्रोत: डीटीई